<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 148/2019 **दायर दिनांकः 01/10/2019**

उनवान

1. भगवत प्रसाद उम्र 34 वर्ष पुत्र श्री गोपीबल्लभ (गालव) जाति बृाह्मण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थितिः–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनाक :14/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बेडक्या तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता स0 24 की खसरा स0 85, 140, 307, 308, 309/529, 310 कुल 6 किता की 1.66 हैक्टर व खाता स0 25 की खसरा स0 73, 133, 135, 137, 150, 153, 318, 407, 408, 409, 431 कुल किता 11 की 4.64 है0 खातेदारान भगवती पुत्र गोपीबल्लभ जाति ब्राह्मण निवासी बेडक्या तह0अटरू के हिस्सा बांट बराबर में दर्ज खाता चली आ रही है। जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबील गौर है। उक्त भूमि का इन्तकाल खोलते वक्त सहवन से वादी का नाम उक्त जमाबन्दी में भगवत प्रसाद के स्थान पर भगवती दर्ज कर दिया जबकी उसका सही नाम भगवत प्रसाद था। वादी का सही नाम भगवत प्रसाद है फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में वादी का नाम भगवत प्रसाद ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भगवती व अन्य है। फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड दस्तावेजो मे वादी का नाम भगवत प्रसाद दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:57 IST
Reason: SelfAttested

कर सकता है। किसी की जमानत आदि देने में भी असमर्थ है। वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भगवती के स्थान पर भगवत प्रसाद दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम भगवती के स्थान पर भगवत प्रसाद दर्ज नही करा सकेगा जिससे वादी को अनेकानेक परेशानीयो का सामना करना पडेगा ऋण आदि प्राप्त नही कर सकेगा जिससे आर्थिक रूप से पिछड जायेगा। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि उसका नाम भगवती के स्थान पर भगवत प्रसाद या राजस्व रिकार्ड में भगवती उर्फ भगवत प्रसाद दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषण नाम संशोधन का होने से श्री मान तहसीलदार साहब अटरू का प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम भगवती दर्ज होने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी से भगवती के स्थान पर भगवत प्रसाद करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनांक 15/08/2019 को साफमना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षे़त्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पैश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर परमाई जावेः–

(अ)– राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम भगवती के स्थान पर भगवत प्रसाद घोषित किया जाकर जमाबन्दी मे भगवती के स्थान पर भगवत प्रसाद दर्ज किया [illegible] भगवती उर्फ भगवत प्रसाद दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब)– अन्य न्यायाचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:57 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि रिकार्ड अनुसार वादी का खाते में नाम भगवती के स्थान पर रिकार्ड अनुसार सही नाम भगवत प्रसाद अंकित किया जावें।

प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में भगवत प्रसाद नाम अंकित है।

रिकार्ड के आधार पर वादी का सही नाम खाते में दर्ज किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बेडक्या तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता स0 24 की खसरा स0 85, 140, 307, 308, 309/529, 310 कुल 6 किता की 1.66 हैक्टर व खाता स0 25 की खसरा स0 73, 133, 135, 137, 150, 153, 318, 407, 408, 409, 431 कुल किता 11 की 4.64 है0 खातेदार भगवती पुत्र गोपीबल्लभ दर्ज है, जिसको दुरूस्त किया जाकर खातेदार भगवती उर्फ भगवत प्रसाद पुत्र गोपीबल्लभ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 148/2019

उनवान

1. भगवत प्रसाद उम्र 34 वर्ष पुत्र श्री गोपीबल्लभ (गालव) जाति बृाह्मण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बेडक्या तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता स0 24 की खसरा स0 85, 140, 307, 308, 309/529, 310 कुल 6 किता की 1.66 हैक्टर व खाता स0 25 की खसरा स0 73, 133, 135, 137, 150, 153, 318, 407, 408, 409, 431 कुल किता 11 की 4.64 है0 खातेदार भगवती पुत्र गोपीबल्लभ दर्ज है, जिसको दुरूस्त किया जाकर खातेदार भगवती उर्फ भगवत प्रसाद पुत्र गोपीबल्लभ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	[illegible]र्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:26:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)